संख्या - 86/ 2017/1303 /चार-2017- 115(वि)/2017

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई,2017

विषय:- पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी समारोह के अन्तर्गत मुगलसराय (चन्दौली) में चन्द्रगुप्त तथा वाराणसी में शंकराचार्य नाट्य मंचन हेतु रू0 2.00 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ धनराशि रू0 1.00 लाख के अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1072 /सं0नि0-15(15)/2017-18 दिनांक 07 जुलाई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी समारोह के अन्तर्गत मुगलसराय (चन्दौली) में चन्द्रगुप्त तथा वाराणसी में शंकराचार्य नाट्य मंचन हेतु सम्यक विचारोपरान्त रू0 2.00 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ धनराशि रू0 1.00 लाख के अग्रिम आहरण की धनराशि को निम्न एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) यह अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-15-1 (1)/69 दिनांक 10-06-2011 में दी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

(2) अग्रिम आहरण के फलस्वरूप यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण/वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) उक्त आहरण उसी दशा में किया जायेगा जब तक कि यह सुनिश्चित न कर लिया जाय कि इस हेतु यदि पूर्व में केाई अग्रिम दिया गया है तो उसका समायोजन हो चुका है।

(4) अग्रिम का समायोजन प्रत्येक दशा में विलम्बतम दिनांक 31-03-2018 से पूर्व कर लिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय हेतु रू0 2.00 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ धनराशि रू0 1.00 लाख के अग्रिम आहरण की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92-के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-03- संस्कृति निदेशालय-42- अन्य मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- उपर्युक्त आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10-06-2011 द्वारा प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 86 /2017/ 1303 /चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/केन्द्र प्रमुख, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र वाराणसी।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।